कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर

क्रमांकः–पुलिस अधीक्षक / शाजा / आर.के. /701 /26 दिनांक :–15 /05 /2026

निविदा सूचना पत्र

पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु इकाई के सभी कार्यालयों एव थानो में स्थापित साधारण प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, कलर प्रिंटर एवं फोटोकॉपी मशीनो के रखरखाव, टोनर रिफिलिंग एवं आवश्यक सुधार कार्य हेतु तथा सूची अनुसार सामग्री क्रय किये जाने हेतु दर निर्धारण करने बाबत् ऑनलाईन खुली निविदा जारी की जाती है, जिसकी विस्तृत जानकारी https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है।

स.क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	प्रतिभूति राशि E.M.D.	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर तथा अधीनस्थ कार्यालयो एवं थानों के सभी प्रिंटरो एवं फोटोकापी मशीनो की मरम्मत एवं रिफिलिंग कार्य	2 लाख	रु. 6,000/–	रु.500/–

स.क्र.	निविदा विवरण	दिनांक	समय	रिमार्क
1.	निविदा प्रकाशन दिनांक	18.05.2026	10:00 बजे	
2.	निविदा जमा करने की प्रारंभ दिनांक	18.05.2026	11:00 बजे से	
3.	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	08.06.2026	11:00 बजे तक	
4.	निविदा खोलने की दिनांक	09.06.2026	11:00 बजे	

–निविदा की सामान्य शर्ते–

1. ई–निविदा 2 भागों में ऑनलाईन प्रस्तुत की जावें।
   (अ) प्रथम भाग में तकनीकी निविदा होगी जिसमे निविदा से संबंधित सभी फार्म एवं निविदा की शर्तो में उल्लेखित अन्य निविदा से संबंधित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है।
   (ब) द्वितीय भाग मे व्यवसायिक निविदा फार्म होगा, जिसमे उपकरणो के विभिन्न कलपुर्जो, एसेसरीज, उनकी मरम्मत संबंधी लेबर कॉस्ट तथा विभिन्न प्रिंटर/फोटोकॉपीयर मशीन मे लगने वाले टोनर/इंक आदि की दरे समस्त कर इत्यादि सहित दर्ज कर संबंधित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसे निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
2. ई–निविदा में दर्शाये अनुसार सुरक्षा निधि की राशि (E.M.D.) के रूप में वेबसाईट https://mptenders.gov.in ऑनलाईन निविदा में जमा करानी होगी।
3. निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, एवं न ही इसमें कोई छूट प्रदान की जावेगी। केवल म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियम 14.1 के पालन में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को स्वयं द्वारा उत्पाद की जाने वाली सामग्री हेतु निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा फार्म शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट की पात्रता रहेगी।
4. ई–निविदा निर्धारित दिनांक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर, रिकार्ड शाखा में क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी।
5. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत राशि रु. 10,000/– (दस हजार रूपये) सुरक्षानिधि, बैंकड्राफ्ट/बैंकग्यारंटी, " **पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर,** " के नाम से बनवाकर कार्यादेश प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर कार्यालय में जमा कराना होगा जो **Tendor** अवधि समाप्त होने तक जमा रहेगी।

6. निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का गुमास्ता पंजीयन, जी.एस.टी. क्रमांक अंकित करने के साथ रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। उक्त सभी प्रमाण पत्र अद्यतन होना आवश्यक है । साथ ही निविदाकार को विगत 3 वर्षो (2022–23, 2023–24, 2024–25) की दाखिल की गई आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
7. निविदाकर्ता को स्थानीय शाजापुर के किसी भी शासकीय कार्यालय में विगत 2 वर्ष प्रिंटर/फोटोकापीयर मशीन मरम्मत कार्य करने की प्रमाणिक जानकारी/कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
8. संलग्न किये गये दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना अनिवार्य है, दस्तावेज पठनीय नहीं होने की दशा में निविदा निरस्त की जा सकेगी।
9. फर्म/कम्पनी का सर्विससेंटर/सेल्स आफिस स्थानीय शाजापुर मे होना अनिवार्य है सर्विससेंटर/सेल्स ऑफिस के पते से संबंधित दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
10. निविदाकर्ता निविदा भरने के पूर्व कार्यालय की रिकार्ड शाखा से संपर्क कर सभी कार्यरत प्रिंटरो/फोटोकॉपीयर मशीनो को देख लिया जावे, यदि कोई कार्यालयो के प्रिंटरो/फोटोकापीयर मशीनो को देखना चाहता है तो वह कार्यदिवस तथा कार्यालयीन समय मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय की रिकार्ड शाखा में संपर्क करें।
11. खुली निविदा मे भारत शासन/राज्य शासन द्वारा ब्लैक लिस्ट की गई फर्म भाग नहीं ले सकेगी बाद मे उक्त बात प्रकाश में आने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार पुलिस अधीक्षक शाजापुर को है। इसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक शाजापुर का होगा।
13. निविदा प्रक्रिया किसी भी समय प्रशासकीय कारण से स्थगित/शिथिल की जा सकती है।
14. तकनीकी निविदा मे त्रुटी होने पर या दस्तावेजो मे कमी होने पर न्यूनतम दर की निविदा स्वीकृत करने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगी एवं न ही इस संबंध में पत्राचार स्वीकार किया जावेगा ।
15. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2027 तक मान्य होगी। सामग्री/कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की समय पर उपलब्धता एवं कार्य की विश्वसनीयता के आधार पर दोनो पक्षों की सहमति से 03 माह या अधिकतम 01 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।
16. सफल निविदाकार को उपकरणो मे तकनीकी खराबी आने की सूचना पर कार्यालयीन समय मे अपने प्रतिनिधि से 06 घण्टे की समय सीमा मे उपस्थित होकर निरीक्षण तथा यथासंभव तत्समय या अगले कार्यदिवस मे उपकरण सुधारा जाना होगा। उपकरण के संबंधित कलपुर्जे तत्समय उपलब्ध न होने की अथवा विशेषज्ञ फर्म से मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता होने की दशा मे अधिकतम 03 दिवस मे ठीक कराया जाना होगा।
17. सफल निविदाकार को कार्यादेश के अनुरूप सामग्री मरम्मत कार्यालय मे ही करना होगा। यदि किसी तकनीकी कारणवश निविदाकर्ता को उसके वर्कशॉप में ले जाकर मरम्मत कार्य करना अत्यावश्यक होने की स्थिति मे लिखित अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा एवं उपरोक्त परिस्थिति मे उपकरण लाने ले जाने पर होने वाला व्यय भार निविदाकार को वहन करना होगा।
18. उपकरण सुधार मे लगने वाली सामग्री गुणवत्तापूर्ण तथा मूल उपकरण निर्माता द्वारा निर्मित अथवा समकक्ष होनी चाहिए। सामग्री सुधार उपरांत सामग्री का चेकटेस्ट किया जावेगा। प्रदायित सामग्री निर्धारित/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप होने पर ही स्वीकार की जाकर तथा सुधार उपरांत उपकरण भलीभांति कार्यरत होना पाये जाने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
19. उपकरणो के रखरखाव एवं मरम्मत संबंधी कार्य संबंधित शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से हस्ताक्षर एवं स्वयं के हस्ताक्षर उपरांत पावती देयक के साथ प्रस्तुत करेगे यह प्रकिया अनुबंध समाप्त होने तक निरंतर चालू रहेगी।
20. सफल निविदाकार द्वारा यदि समय पर सामग्री प्रदाय/मरम्मत कार्य समय पर नहीं किया जाता है, तथा उचित कारण दर्शित करते हुए अवधि में विस्तार के लिये अनुरोध भी नहीं करता है, तो बैंक ग्यारंटी सीज कर टेंण्डर निरस्त कर दिया जावेगा तथा अनुबंध अवधि मे स्थानीय बाजार से सामग्री क्रय/उपकरण

मरम्मत किये जाने पर दर बढकर आती है, इस बढकर आने वाली अंतर की राशि भी फर्म से वसूल की जावेगी। फर्म का नाम विभागीय काली सूची मे एक निश्चित अवधि के लिए दर्ज किया जा सकेगा।

21. भुगतान प्रकिया :– अनुबंध अवधि में किये गये कार्यो के देयको का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने की दशा में होगा। संबंधित मद में आवंटन नहीं होने पर देयको का भुगतान पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित मद में आवंटन प्राप्त होने पर किया जावेगा।

22. फर्म का टर्नओवरः– निविदाकर्ता का विगत तीन वर्षो (2022–23/2023–24/2024–25) का टर्नओव्हर 03 लाख सालाना होना अनिवार्य है। इसके साथ सी.ए. का टर्नओव्हर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।

23. निविदाकर्ता से समिति द्वारा कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज निविदा खुलने के बाद मांगे जा सकते है जो प्रदाय करना अनिवार्य है।

24. चूँकि यह निविदा वर्ष 2026–27 मे विभिन्न प्रिंटरो/फोटोकॉपीयर मशीनो की मरम्मत हेतु दर निर्धारण एवं अनुबंध हेतु है अतः यह आवश्यक नही होगा कि सफल निविदाकार को सभी सामग्री के क्रयादेश जारी किये जावे। समय–समय पर खराब होने वाले उपकरणो के क्रयादेश जारी होने पर निविदाकार को सहसामग्री प्रदाय/मरम्मत कार्य करना होगा।

25. अन्य नियम एवं शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, मध्यप्रदेश शासन के वित्तीय नियमो, जीओपी 151/2022 म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशांधित 2022) के प्रावधानो के अनुसार होगी। इसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक शाजापुर का होगा।

26. निविदा की नियम एवं शर्तों में किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर मेल आईडी **recorddposjr@gmail.com** एवं मोबाईल नं. **9425467390 /9098734034** पर संपर्क कर सकते है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
हेतु पुलिस अधीक्षक
जिला शाजापुर (म.प्र.)

Signature Not Verified

Digitally signed by GURUCHARAN SINGH PANWAR
Date: 2026.05.15 17:21:03 IST
Location: Madhya Pradesh-MP